

राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdh.css.ext.hort@rajasthan.gov.in)

कंमाक: प 21(40)नि.उ./राबामि/जिला/2022-23/3234-78


दिनांक: 07.06.2022

परिपत्र

विभाग की विभिन्न योजनाओं व बजट घोषणाओं में लघु/सीमान्त कृषको को निश्चित अनुपात में लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुये है। विभाग की लॉ-टनल, मल्य, कम लागत प्याज भण्डारण संरचना, फल एवं मसाला बगीचों की स्थापना योजनाओं में अनुदान देने हेतु लघु एवं सीमान्त श्रेणी कृषको का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा -

1. जिन कृषकों का जन आधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन है, उनको लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान हेतु ऐसे कृषकों से राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन के समय लघु/सीमान्त श्रेणी के दस्तावेज नहीं मांगा जावे।
2. जिन कृषको द्वारा जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी में पंजीयन नहीं है और यदि कृषक लघु/सीमान्त श्रेणी में अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे जनाधार में लघु/सीमान्त कृषक श्रेणी का पंजीयन करवाना होगा।


अतः उक्तानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।


(चेतन देवड़ा)
आयुक्त उद्यान
दिनांक:

कंमाक: प 21(40)नि.उ./राबामि/जिला/2022-23/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
6. मुख्य लेखाधिकारी उद्यान, उद्यान विभाग, राज. जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, मु0 जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक उद्यान/उप निदेशक उद्यान समस्त..... खण्ड।
9. उप निदेशक उद्यान (सांख्यिकी), उद्यान आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
10. उप निदेशक उद्यान (नर्सरी), राज किसान साथी पोर्टल को पालनार्थ।
11. उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान समस्तजिला।
12. आरक्षी पत्रावली


(चेतन देवड़ा)
आयुक्त उद्यान